मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2015-चैत्र 13, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 03 जनवरी, 2014 को मेरे द्वारा मेरी पुत्री का नाम कामनी सिंह पुत्री रामनरेश सिंह (संरक्षक) व माता सीता सिंह सभी कागजातों में अंकित है. जबकि वास्तव में कु. कामनी पाण्डेय पुत्री श्री इन्द्रमणि पाण्डेय होना चाहिये. अतः भविष्य में मेरी पुत्री का नाम एवं सरनेम कुमारी कामनी पाण्डेय पिता श्री इन्द्रमणि पाण्डेय पढ़ा एवं समझा जावे.

मेरी पुत्री श्री कामनी सिंह, माता श्रीमती सीता सिंह स्कूल की अंक सूचियों में अंकित है इसलिये पुनः राजपत्र में श्रीमती सीता सिंह के स्थान पर सीता पाण्डेय पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

(सीता सिंह)

नया नाम :

(सीता पाण्डेय)

निवासी-एम. आई. जी. 66, वांधवगढ़ कॉलोनी,
वार्ड क्र. 20, थाना कोलगवां, तह. रघुराजनगर सतना,
जिला सतना (म.प्र.).

(692-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, रश्मि जैन, निवासी 9/22, ओल्ड सुभाष नगर घोषणा करती हूँ कि मेरे पुत्र के स्कूल रिकार्ड में उसके नाम की गलत स्पेलिंग Sambhaw Jain के स्थान पर सही स्पेलिंग Sambhav Jain जानी जावे.

(रश्मि जैन)

(693-बी.)

CHANGE IN NAME

I, MOHAMMED HUSAIN PATANWALA here by declare that I have change my name as MOHAMMED MADRASWALA. So, from now and in future I, will be known by my new name.

Old Name :

(MOHAMMED HUSAIN PATANWALA)

New Name :

(MOHAMMED MADRASWALA)
Add—35/1, Sneh Vihar Colony
Transport Nagar Indore (M.P.).

(694-B.)

CHANGE OF NAME

My Son's name is MOKSH JAIN, But in his Passport his name written as MOKSH. I want to complete it with his Surname. Henceforth in every document (including his Passport) his name will be known as MOKSH JAIN.

RITESH JAIN,
(Father)
Flat No. 701, Pushpratan Pride,
35/2, New Palasia, Indore (M.P.).

(695-B.)

CHANGE OF NAME

My Son's name is MOULIK JAIN, But in his Passport his name written as MOULIK. I want to complete it with his Surname. Henceforth in every document (including his Passport) his name will be known as MOULIK JAIN.

RITESH JAIN,
(Father)
Flat No. 701, Pushpratan Pride,
35/2, New Palasia, Indore (M.P.).

(696-B.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे Sehba Khan सेहबा खान के नाम से जाना जाता था जो कि अब बदलकर Sehba Farhat सेहबा फरहत हो गया है. अत: अब भविष्य में मुझे मेरे नाम से Sehba Farhat सेहबा फरहत के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(SEHBA KHAN)
(सेहबा खान)

नया नाम :
(SEHBA FARHAT)
(सेहबा फरहत)
10, आलिया अपार्टमेन्ट, सैफिया कॉलेज रोड,
भोपाल (म.प्र.).

(697-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम हिम्मत सिंह धाकड़ पुत्र श्री नवल सिह धाकड़ था. जिसे मैंने परिवर्तित कर अपना नाम हेमंत पटेल रख लिया है. अत: भविष्य में मुझे इसी नये नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(हिम्मत सिंह धाकड़)
पुत्र श्री नवल सिंह धाकड़

नया नाम :
(हेमंत पटेल)
ग्राम-वर्धा, पोस्ट वर्धा,
तहसील नटेरन-शमशाबाद जिला विदिशा (म.प्र.).

(698-बी.)

CHANGE OF NAME

I, was known as Shailendra Kumar Rajput S/o Ishwar Das Rajput. I have changed my name and henceforth, I shall be known as Shailendra Kumar S/o Ishwar Das.

Old Name :
(SHAILENDRA KUMAR RAJPUT)

New Name :
(SHAILENDRA KUMAR)
Address—Flat No.-T/1, Harisiddhi Campus
Khushipura Chandbarh Bhopal.

(699-B.)

CHANGE OF NAME

The Following may be incorporated in the Gazette Notification

G S RAMAN S/o SHRI S GOPALAKRISHNAN, aged about 64 years, presently residing at B-29, NABARD Officers Colony, Shahpura, Sector-A, Bhopal-462039, Madhya pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. I Retired as Deputy General Manager from Nabard (National Bank for Agriculture and Rural Development) on 31 January, 2011.

2. My name appear differently in different document as per the following:

A. In School Records my name appears as GOPALAKRISHNAN SANKARA RAMAN.

B. In Passport my name appear as SANKARA RAMAN GOPALAKRISHNAN.

C. In Pan Card my name appear as SANKARA RAMAN.

D. In Office records, property Documents, Voters Id, Aadhar Card, My name Appear As G S RAMAN.

3. All these names belong to one and the same person.

Hence for all purposes, my correct name should be read and treted as G S RAMAN.

Existing Names : New Name :

(SANKARA RAMAN/SANKARA RAMAN GOPALAKRISHNAN/ GOPALAKRISHNAN SANKARA RAMAN/G S RAMAN) **(G S RAMAN)**

(705-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, काशी प्रसाद पुत्र श्री मकुन्दीलाल बंशकार, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे सम्पूर्ण शैक्षणिक, शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में मेरा उपनाम बंशकार अंकित चला आ रहा है जबकि मेरा वास्तविक उपनाम पटोइया (PATOIYA) है. अत: अब मुझे समस्त शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में काशी प्रसाद पुत्र मकुन्दीलाल पटोइया के नाम से लिखा, पढ़ा, समझा एवं जाना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(काशी प्रसाद बंशकार) **(काशी प्रसाद पटोइया)**

(706-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सम्पूर्ण शासकीय एवं अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम शीला पति श्री काशी प्रसाद बंशकार अंकित है. अत: मेरा नाम शीला पटोइया पति श्री काशी प्रसाद पटोइया नाम को सत्य माना जाए, साथ ही मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाए और सभी शासकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित किया जाए.

पुराना नाम : नया नाम :

(शीला बंशकार) **(शीला पटोइया)**

(707-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, रामलाल वर्मा पिता श्री छोटेलाल वर्मा, निवासी जवाहर नगर गली नं. 8, सतना (मूल निवास ग्राम कठवरिया पोस्ट हाटी), तहसील रघुराजनगर, जिला सतना मध्यप्रदेश का हूँ. मैं, वर्तमान में जिला न्यायालय सतना में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ हूँ. सेवा अभिलेख में मेरा नाम रामलाल वर्मा पिता श्री छोटा वर्मा तथा शैक्षणिक व अन्य दस्तावेज में मेरा नाम कहीं पर रामलाल वर्मा, कहीं रामलाल चर्म. कहीं रामलाल चर्मकार, कहीं रामलाल एवं पिता का नाम कहीं पर छोटा वर्मा, कहीं छोटा चर्मकार, कहीं छोटा अंकित चला आ रहा है. उक्त सभी नाम मेरे व मेरे पिता के ही हैं, परंतु प्रचलित व सही नाम रामलाल वर्मा पिता श्री छोटेलाल वर्मा है. यही नाम मेरे आधारकार्ड व वोटर आईडी कार्ड में भी अंकित है. अत: मेरे समस्त शैक्षणिक, शासकीय/अशासकीय व अन्य सभी दस्तावेज में मेरा नाम, उपनाम, वल्दियत सहित रामलाल वर्मा पिता श्री छोटेलाल वर्मा लिखा-पढ़ा, माना व समझा जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(रामलाल पिता श्री छोटा) **(रामलाल वर्मा)**

(708-बी.) पिता-श्री छोटेलाल वर्मा.

आम सूचना

फर्म का नाम मेसर्स सिंघई राजाराम तुलसीराम है फर्म "फर्म ऑफ रजिस्ट्रार" आफिस में दिनांक 03 सितम्बर, 1978 से मेसर्स राजाराम तुलसीराम के नाम से पंजीकृत है जबकि फर्म का सही नाम सिंघई राजाराम तुलसीराम है. आयकर विभाग में भी फर्म (PAN.No. AAKFS6356F DT. 1-11-1978) मेसर्स सिंघई राजाराम तुलसीराम के नाम से दिनांक 01-11-1978 से दर्ज है.

अत: भूल सुधार कर फर्म का नाम मेसर्स राजाराम तुलसीराम की जगह मेसर्स सिंघई राजाराम तुलसीराम पढ़ा जाय.

For-Singhai Rajaram Tulsiram,

देव कुमार सिंघई,

(702-बी.) (Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बंगला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी स्थित महेन्द्र नगर, नवादाबाद, अटेर रोड, भिण्ड (म.प्र.) में दिनांक 31 मार्च, 2008 को भागीदार कोमल चन्द चौधरी पुत्र श्री भागचन्द चौधरी, निवासी नेहरू कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर एवं राजेन्द्र मोहन तिवारी पुत्र श्री कालीचरण तिवारी, निवासी भिण्ड सिटी, कोतवाली, भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक को रामनरेश बोहरे पुत्र श्री रामकरण बोहरे, निवासी वीरेन्द्र नगर, लश्कर रोड, भिण्ड एवं बृजकिशोर पाराशर पुत्र श्री रामसिया पाराशर, निवासी मेहगांव, जिला भिण्ड फर्म में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2011 को भागीदार बृजकिशोर पाराशर पुत्र श्री रामसिया पाराशर, निवासी मेंहगाँव, जिला भिण्ड एवं राजीव चतुर्वेदी पुत्र श्री रामवरण चतुर्वेदी, निवासी बिन्दवा अटेर, जिला भिण्ड अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक से श्री मनीष बोहरे एवं श्रीमती रामकान्ती चतुर्वेदी फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म—बंगला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
रामवरण चतुर्वेदी,
महेन्द्र नगर, नवादाबाद, अटेर रोड, भिण्ड (म.प्र.).

द्वारा—हेमन्त सिरसट
(कर सलाहकार)
सोगानी एण्ड कम्पनी, नया बाजार, ग्वालियर (म. प्र.).

(700-बी.)

सर्व सूचना

मैं मेरे पक्षकार की ओर से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मैसर्स आर एण्ड सी फ्रेबीकेशन एण्ड इरेकशन वर्क, 11 -सी, सेक्टर एफ, इन्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा भोपाल जो भागीदारी फर्म के रूप में दिनांक 04 जनवरी, 1996 से अस्तित्व में है, जिसके अन्तर्गत तीन भागीदार थे. जिनमें से एक भागीदार श्री राम बहादुर चौबे पुत्र श्री इन्द्रभान चौबे, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी-एस-1/27, सर्वोदय नगर बरखेड़ा पठानी भोपाल जो कि भागीदारी फर्म से निवृत्त दिनांक 02 मई, 2011 की बनी डील के अनुसार स्वेच्छा से निवृत हो गये थे पश्चात् उनके स्थान पर नये भागीदारी श्री छोटेलाल पुत्र श्री मोतीलाल आयु लगभग 51 वर्ष, निवासी एस-1/25, सर्वोदय नगर बरखेड़ा पठानी, भोपाल को दिनांक 02 मई, 2011 को सम्मिलित होकर भागीदारी फर्म संचालित रही, पश्चात् दिनांक 13 सितम्बर, 2013 को श्री छोटेलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उनका उत्तराधिकारी पत्नि श्रीमती निर्मला शर्मा को उनके स्थान पर भागीदार नियुक्त कर भागीदारी फर्म गठित कर संचालित रही जो कि दिनांक 02 जुलाई, 2014 को अपनी स्वेच्छा से भागीदारी फर्म से निवृत्त हो गईं जिसकी भागीदारी डील दिनांक 02 जुलाई, 2014 को निष्पादित की गई जिसके पश्चात् फर्म के अन्तर्गत वर्तमान में दोनों भागीदार (1) श्री संजय सक्सेना एवं श्रीमती प्रेमलता राजपूत दोनों के द्वारा भागीदारी फर्म का संचालन किया जाता रहेगा जिसका संशोधन आवेदन किया गया. इस सूचना के माध्यम से सभी शासकीय विभागों अर्धशासकीय विभाग, वित्तीय संस्था, बैंक तथा व्यक्ति विशेष को सूचित किया जा रहा है.

भवदीय,
रामेश्वर डोबले,
(अधिवक्ता)
पता-एफ—बी-8, ए ब्लॉक
मानसरोवर काम्पलेक्स, भोपाल (म.प्र.).

(701-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm **" M/s SHREE PALAK DEVELOPERS"** of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00191/2011, Dated 02-08-2011 has undergone the following changes:-

1. That Shri Shishir Maheshwari S/o Shri Shreeniwas Maheshwari, Shri Sanjay Sharma S/o Shri N.P. Sharma, Shri Rahul kabra S/o Shri G. D. Kabra and Shri Anshul Jhanwar S/o Shri Ashok Jhanwar has Joined the partnership firm w. e. f. 01-04-2013.
2. That Smt. Namita Sharma W/o Shri Sanjay Sharma and Shri Sanjay Sharma S/o Shri N.P. Sharma has also desire to retire from the Partnership firm w. e. f. 19-08-2014 and Smt. Premlata Kabra W/o Shri G.D. Kabra has Joined the partnership firm w. e. f. 20-08-2014.
3. That Smt. Amita Maheshwari W/o Shri Sumit Maheshwari has joined the Partnership firm w. e. f. 01-09-2014.

"M/s SHREE PALAK DEVELOPERS"
Shishir Maheshwari,
(Partner)
H-34, Apsara Complex, Indrapuri, Bhopal.

(703-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm " **M/s SHREE PALAK CONSTRUCTION**" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00517/2013, Dated 28-02-2013 has undergone the following changes:-

1. That Shri Sanjay Sharma S/o Late Shri N.P. Sharma has desire to retire from the partnership firm w. e. f. 29th September, 2014.

"M/s SHREE PALAK CONSTRUCTION"
Shishir Maheshwari,
(Partner)
100, B-Sector, Indrapuri, Bhopal.

(704-B.)

आम सूचना

मैं, शिशुपाल सिंह तोमर पुत्र श्री नारायण सिंह तोमर, निवासी आजाद मार्ग अम्बाह, जिला मुरैना का होकर हर आम व खास को सूचित करता हूँ कि हमारी फर्म मेसर्स शिशुपाल सिंह कंस्ट्रक्शन एण्ड बोरवैल कम्पनी स्थान-बी. टी. आई. रोड, कमिश्नरी कॉलोनी, मुरैना जो कि संवर्ग संविदा कार्य एवं माल की आपूर्ति कार्य किया जाता है. दिनांक 03 फरवरी, 2014 से श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री विद्याराम सिंह सिकरवार, निवासी दिक्षित गली गोपालपुरा मुरैना तथा नारायण सिंह तोमर पुत्र श्री मुलायम सिंह तोमर, निवासी ग्राम विरहरूआ, तहसील अम्बाह मुरैना, फर्म से पृथक् हो गये हैं. उक्त दोनों साझेदारों का फर्म से हित एवं दायित्व समाप्त हो गया है तथा इसी दिनांक से श्री निर्भय सिंह तोमर पुत्र श्री कीरत सिंह तोमर, निवासी विरहरूआ अम्बाह तथा श्री गजेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री करन सिंह तोमर, निवासी बिरहरूआ, तहसील अम्बाह, हमीर सिंह पुत्र श्री करन सिंह तोमर, निवासी बेताल का पुरा (विरहरूआ) अम्बाह अशोक सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर, निवासी-बी. टी. आई. रोड कमिश्नरी कॉलोनी, मुरैना को साझेदार बनाया गया है.

अत: सूचित हों.

सूचनाकर्ता,
मै. शिशुपाल सिंह कंस्ट्रक्शन वोरवैल कम्पनी,
द्वारा—**शिशुपाल सिंह तोमर**,
(भागीदारी)
आजाद मार्ग अम्बाह, जिला मुरैना (म. प्र.).

(709-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, होशंगाबाद

प्र.क्र.02/बी-113(1)/2013-14.

आवेदक ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. पं. शंभूदयाल मिश्रा चैरिटेबल लोक न्यास'' होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिन के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. पं. शंभूदयाल मिश्रा चैरिटेबल लोक न्यास''.

पता	:	मकान नम्बर 302, लोकन्यास, कार्यालय वार्ड नम्बर 12, दूरभाष केंद्र के बाजू में सदर बाजार, नगर होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

राजेश शाही,
पंजीयक.

(208)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, शाहगढ़

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्थाओं का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	जयमॉकाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हसरईसादपुर	1200/03-05-2005	716/24-04-2013
2.	आदिवासी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कानीखेड़ी	1226/30-06-2006	759/24-04-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़	558/03-12-1993	752/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है, कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

रामजी खरे,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(196-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ हरिसिद्धि प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्या., राहतगढ़	142/14-10-2005	730/24-04-2013
2.	कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निवोदिया	135/23-06-2003	736/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकार्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं, तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनकों वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

अनिल कुमार जैन,

(197) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, देवरी

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पाठक	1185/07-03-2005	702/24-04-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरझामर	468/13-12-1989	746/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

राकेश जैन,

(198) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चौरई	583/02-11-1994	697/24-04-2013
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चॉदपुर	488/11-10-1990	732/24-04-2013
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चनौआ बुजुर्ग	486/11-10-1990	733/24-04-2013
4.	कर्मा बाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली	1227/11-09-2006	698/24-04-2013
5.	मछुआ सहकारी समिति मर्या., रहली	788/28-09-2001	735/24-04-2013
6.	नगरपालिका हरिजन कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., रहली	440/06-10-1987	743/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं, अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एन. के. खरे,

(199) सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	भूतेश्वर महिला विकास सहकारी समिति मर्या., संतरविदास वार्ड सागर	1154/08-09-2004	693/24-04-2013
2.	रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भैंसा सागर	829/20-05-2002	766/24-04-2013
3.	सिंह वाहिनी महिला विकास सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड सागर	959/28-02-2002	696/24-04-2013
4.	दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानोधा	1229/06-12-2006	699/24-04-2013
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिदवानी	1181/25-02-2005	703/24-04-2013
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पथरियाहाट	887/27-07-2002	708/24-04-2013
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी/सुवंश	886/27-07-2002	709/24-04-2013
8.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बदोना	863/22-06-2002	719/24-04-2013
9.	एमईएस कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर	356/05-12-1981	721/24-04-2013
10.	गायत्री महिला विकास सहकारी समिति मर्या., पंतनगर सागर	1114/26-04-2004	722/24-04-2013
11.	महिला विकास सहकारी समिति मर्या., तिली वार्ड सागर	1176/16-02-2005	723/24-04-2013
12.	विजय फोस्फेट उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर	375/19-08-1983	727/24-04-2013
13.	अल्प संख्यक लेदर उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर	472/15-03-1990	728/24-04-2013
14.	चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., लालकुर्ती सागर	730/19-03-1998	729/24-04-2013
15.	दाउद ऑफसेट मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., सागर	132/05-03-2003	731/24-04-2013
16.	राजघाट विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्या., सागर	784/07-08-2001	734/24-04-2013
17.	रविदास हरिजन कामगार सहकारी समिति मर्या., रजाखेड़ी सागर	294/21-02-1975	738/24-04-2013
18.	पशु संवर्धन कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., सागर	447/29-03-1989	739/24-04-2013
19.	दूर संचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर	751/13-07-1999	740/24-04-2013
20.	बुन्देलखण्ड अल्पबचत सहकारी समिति मर्या., मोहनगर सागर	719/28-10-1997	744/24-04-2013
21.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सानोधा	456/13-02-1989	745/24-04-2013
22.	मां शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., भोजपुरा सागर	828/20-05-2002	747/24-04-2013
23.	मधुकर शाह प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., मधुकरशाह वार्ड सागर	327/20-04-1981	749/24-04-2013
24.	राघव प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गंभीरिया सागर	710/04-10-1997	750/24-04-2013
25.	ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटरा सागर	1216/13-12-2005	754/24-04-2013
26.	ओम सांईराम ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सदर केण्ट सागर	1224/25-05-2006	756/24-04-2013
27.	आजीवन आरोग्य सहकारी समिति मर्या., सागर	139/02-09-2004	764/24-04-2013
28.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कुड़ारी	816/08-05-2002	765/24-04-2013
29.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बंसिया बरोदा	956/28-09-2002	707/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ

के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियां तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एच. के. मिश्रा,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(200)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, जैसीनगर

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर	1017/21-01-2003	705/24-04-2013
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी	1192/13-04-2005	717/24-04-2013
3.	उमाशक्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खेजरामाफी	1194/13-04-2005	726/24-04-2013
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अगरिया	455/11-12-1989	753/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्थाओं का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियां तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

बसंत रोहित,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(201)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत

निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिरपछिपा	1205/30-06-2005	695/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियां तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. के. राठौर,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(202)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, केसली

सागर, दिनांक 16 अगस्त, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर के आदेशानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	ग्रामीण विकास अल्पबचत सहकारी समिति मर्या., केसली	743/05-01-1999	763/24-04-2013

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों की इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाणों के यदि कोई हो तो लिखित रूप में मेरे समक्ष कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां/डेडस्टाक/संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख या रिकॉर्ड एवं डेडस्टाक नहीं सौपे गये हैं तो सम्बन्धित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की होगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियां तथा लेनदारी एवं देनदारी का निराकरण गतवर्षों की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक व सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त किया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 16 अगस्त, 2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

रजनीश नायक,
सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक.

(203)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मंदसौर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री विजय कुमार पिता मणिगोपाल माहेश्वरी (निवासी-दलौदा स्टेशन)

अध्यक्ष/प्रबंधक, मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दलौदा.

मसाला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-872 मन्दसौर, दिनांक 08 जनवरी, 2007 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं :—

1. संस्था वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(बी) का उल्लघंन है.
3. संस्था अकार्यशील है संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबंधकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी,भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम,1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 06 अप्रैल, 2015 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(205)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्रीमति संगीता पति विनोदजी पोरवाल (पुलिस चौकी के पास)

अध्यक्ष/प्रबंधक, महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दलौदा.

महिला गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., दलौदा, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक-873 मन्दसौर, दिनांक 09 जनवरी, 2007 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गईं :—

1. संस्था वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(बी) का उल्लघंन है.
3. संस्था अकार्यशील है संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था सदस्यों/प्रबंधकारिणी सदस्यों द्वारा संस्था को कार्यशील रखने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, भारतसिंह चौहान, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम,1960 की

धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 06 अप्रैल, 2015 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 12 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

भारतसिंह चौहान,

(205-A) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—राम रहीम साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 3022, दिनांक 26 फरवरी, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत राम रहीम साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. जयश्री राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—अनादि महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2945, दिनांक 26 सितम्बर, 2004

को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत अनादि महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. जयश्री राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-A)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—रमाशंकर साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2925, दिनांक 05 अप्रैल, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत रमाशंकर साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. जयश्री राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-B)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—माँ बीजा सेन साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2925, दिनांक 05 अप्रैल, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ बीजा सेन साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. जयश्री राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-C)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—रिया साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2922, दिनांक 01 मार्च, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत रिया साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. जयश्री राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-D)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.---पूजा साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2921, दिनांक 01 मार्च, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.---

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत पूजा साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. जयश्री राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-E)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.---नेहा साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2980, दिनांक 01 मार्च, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.---

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नेहा साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. जयश्री राठौर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-F)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—बालाजी साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2918, दिनांक 01 मार्च, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बालाजी साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-G)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—श्री कृष्ण साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2917, दिनांक 01 मार्च, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्री कृष्ण साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. गहलोद, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-H)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—गुरु कृपा साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2915, दिनांक 28 फरवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत गुरु कृपा साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-I)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—योगेश्वरी साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2192, दिनांक 28 फरवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत योगेश्वरी साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-J)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—शुभम् साख सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2914, दिनांक 28 फरवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत शुभम् साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-K)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—भाग्यश्री साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2912, दिनांक 28 फरवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत भाग्यश्री साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन

में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-L)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.---प्राथ. महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2733, दिनांक 15 अक्टूबर, 2001 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.---

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्राथ. महिला साख सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-M)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.---सुरक्षा कागज कारखाना सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2041, दिनांक 23 जनवरी, 1978 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.---

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सुरक्षा कागज कारखाना सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. पाठक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-N)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—माँ शारदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, मरकाढाना, पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 14 फरवरी, 2003 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ शारदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, मरकाढाना को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-O)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—जय अम्बे महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, रैपुरा, पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 02 जनवरी, 2003 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जय अम्बे महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, रैपुरा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. गेहलोद, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-P)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—जन प्रिया महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, मोशिया साकेत, पंजीयन क्रमांक 2696, दिनांक 24 मई, 1999 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जन प्रिया महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, मोशिया साकेत को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत कु. विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—आदर्श महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हावई, पंजीयन क्रमांक 3033, दिनांक 11 जून, 2009 को

कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदर्श महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हावई को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. गेहलोद, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-R)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—आदर्श महिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, पचमढ़ी, पंजीयन क्रमांक 2677, दिनांक 18 जनवरी, 1999 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदर्श महिला बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, पचमढ़ी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-S)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—पं. दीनदयाल परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2901, दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत पं. दीनदयाल परिवहन सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-T)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—बाबाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, पंजीयन क्रमांक 3075, दिनांक 17 मई, 2012 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बाबाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-U)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—श्रीकृष्ण टेलरिंग सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर, पंजीयन क्रमांक 2732, दिनांक 27 फरवरी, 2001 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्रीकृष्ण टेलरिंग सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, वरि. सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-V)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—जागृति रेशम सहकारी समिति मर्यादित, गाडरवाडाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 2660, दिनांक 05 मई, 1998 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जागृति रेशम सहकारी समिति मर्यादित, गाडरवाडाखुर्द को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. गहलोद, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-W)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—बसुंधरा रेशम उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तिदेवाडा, पंजीयन क्रमांक 2657, दिनांक 05 मई, 1998 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बसुंधरा रेशम उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, तिदेवाडा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. गहलोद, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-X)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.---एकता रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मछेराकला, पंजीयन क्रमांक 2659, दिनांक 05 मई, 1998 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.---

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एकता रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मछेराकला को

परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत जी. पी. गहलोद, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-Y)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—प्रगति रेशम सहकारी समिति मर्यादित, कामतीरंगपुर, पंजीयन क्रमांक 2659, दिनांक 05 मई, 1998 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत प्रगति रेशम सहकारी समिति मर्यादित, कामतीरंगपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. गहलोद, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(206-Z)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—बालाजी बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, बावई, पंजीयन क्रमांक 3046, दिनांक 25 फरवरी, 2010 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बालाजी बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, बावई को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-A)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, वाईखेडी, पंजीयन क्रमांक 2943, दिनांक 20 अगस्त, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, वाईखेडी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुखदेव परतेती, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-B)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, चकपुरा, पंजीयन क्रमांक 2535, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, चकपुरा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-C)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.---तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, साकई, पंजीयन क्रमांक 2536, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.---

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, साकई को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-D)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.---आदि. हरि. मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, पचमढ़ी, पंजीयन क्रमांक 3056, दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदि. हरि. मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, पचमढ़ी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-E)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तवा मत्स्य विस्थापित सहकारी समिति मर्यादित, पाढ़ई, पंजीयन क्रमांक 2522, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा मत्स्य विस्थापित सहकारी समिति मर्यादित, पाढ़ई को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुखदेव परतेती, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-F)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—नर्मदा जी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2240, दिनांक 03 मई, 1985 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदा जी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. पाठक, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-G)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—साकेत गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2072, दिनांक 13 जनवरी, 1975 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत साकेत गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. पाठक, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-H)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—सांवरिया गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2541, दिनांक 31 जनवरी, 1996 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सांवरिया गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-I)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बहारपुर, पंजीयन क्रमांक 2210, दिनांक 26 सितम्बर, 1988 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बहारपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. कहार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-J)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भट्टी, पंजीयन क्रमांक 2434, दिनांक 26 जून, 1994 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भट्टी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-K)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—जनजाति उन्नत बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी-मालवा, पंजीयन क्रमांक 2729, दिनांक 26 फरवरी, 2001 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत जनजाति उन्नत बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी-मालवा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-L)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—सरस्वती साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी-मालवा, पंजीयन क्रमांक 2725, दिनांक 09 जनवरी, 2001 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सरस्वती साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी-मालवा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-M)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—माँ नर्मदा उप-भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2013, दिनांक 29 जुलाई, 2004 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ नर्मदा उप-भण्डार सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रमोद राय, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-N)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—दुर्गा बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, रैपुरा, पंजीयन क्रमांक 2987, दिनांक 04 अगस्त, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुर्गा बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, रैपुरा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. कहार, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-O)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, ओझापुरा, पंजीयन क्रमांक 2533, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, ओझापुरा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-P)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.---तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, खामदा, पंजीयन क्रमांक 2508, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.---

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, खामदा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, बड़चापडा, पंजीयन क्रमांक 2505, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, बड़चापडा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-R)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, पीपकापुरा, पंजीयन क्रमांक 2504, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, पीपकापुरा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-S)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, मल्लूपुरा, पंजीयन क्रमांक 2579, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, मल्लूपुरा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-T)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, सुपलई, पंजीयन क्रमांक 2528, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुन: सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, सुपलई को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-U)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—तवा विस्थापित सहकारी समिति मर्यादित, सारगपुर, पंजीयन क्रमांक 2512, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्थापित सहकारी समिति मर्यादित, सारगपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुखदेव परतेती, उप-अंकेक्षक निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-V)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, आमगांव (वनखेडी), पंजीयन क्रमांक 3070, दिनांक 10 अप्रैल, 2012 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण

बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, आमगांव (वनखेडी) को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(207-W)

होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/337.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोविन्द नगर वनखेडी, पंजीयन क्रमांक 3085, दिनांक 09 जनवरी, 2013 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1286, दिनांक 07 अगस्त, 2014 द्वारा निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार नियमित अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया गया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया गया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रति उत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पूर्व में सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, होशंगाबाद, दिनांक 01 मार्च, 2014 के द्वारा 136 सहकारी समितियों को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की थी. पुनः सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षण) होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/261, होशंगाबाद, दिनांक 01 अगस्त, 2014 से 179 समितियों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, गोविन्द नगर वनखेडी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

काडमू पाटनकर,

(207-X) उप-पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2015-चैत्र 13, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, झाबुआ, सीहोर, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला धार में फसल गेहूँ व मुरैना, गेहूँ, सरसों, चना व श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, इन्दौर, खरगौन, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला दतिया, डिण्डोरी, सिवनी में फसल धान व बैतूल में गन्ना व अनूपपुर में खरीफ फसल धान, कोदों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, सतना, शहडोल, उमरिया, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. गेहूँ एवं सरसों व चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगमोठ,उड़द, तुअर, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) ज्वार, तुअर अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला दमोह :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, सरसों-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		चना, मसूर, अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर कम. अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .	चालू है.	4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		सोयाबीन.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	एवं कोदों फसल की	4. (1) चना-अधिक. राहर, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .	कटाई का कार्य चालू है.	रामतिल, अलसी, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .	चालू है.	4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		अरहर, चना, राई-सरसों, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		अधिक. सोयाबीन, गेहूँकम. तिल समान.		
		(2)	. .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2.. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ कम. राई-सरसों अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, चना, जौ, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, रायडा समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .				
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, तुअर कम. चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोबट	. .		4. (1) ज्वार, कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, गन्ना, सरसों, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
***जिला विदिशा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		तुअर, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		मसूर, मटर, लाख, गन्ना, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		प्याज समान.		
4. गौहरगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गन्ना की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) धान, तुअर, अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	चालू है.	4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .	चालू है.	4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझौली	. .				
5. कुण्डमपुर	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .	की बोनी का कार्य चालू	4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .	है.	गेहूँ, जौ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व खरीफ फसल धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. खुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.—जिला भिण्ड, दमोह, रतलाम, देवास, बड़वानी, विदिशा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(195)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.